राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांक:एफ (1)/1(27)आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/रालोसेआ/2019 दिनांक: 04-11-2019

::आदेश::

राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राज., जयपुर के पत्र क्रमांक प.1 (6)प्र.सु./अनु.–3/2017 दिनांक 27.09.2019 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की अनुपालना में याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु उद्योग विभाग को आवंटित किया गया है।

अतः निम्नांकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) के पद पर अस्थाई आधार पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक 14600/–रूपये प्रतिमाह पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में की जाती है। तत्पश्चात परिवीक्षाधीन अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम–2017 के पे–मेट्रिक्स लेवल–5 के अनुसार कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) का प्रारम्भिक वेतन तथा नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगें:–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	जन्मतिथि	रोल नं.	मेरिट नं. एवं श्रेणी	पदस्थापन स्थान
1.	श्री अमित कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा, पता–सीताराम जी के मन्दिर के पास, वैर, जिला भरतपुर(राज.)पिन–321408	15.08.1985	208713	702 (रिजर्व लिस्ट) सामान्य	जिला उद्योग केन्द्र,भरतपुर
2.	श्री गौतम सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, पता–नजदीक महिन्द्रा ट्रेक्टर एजेन्सी,वार्ड नं.29,सेक्टर 5,नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.) पिन–335523	07.02.1991	568395	705 (रिजर्व लिस्ट) सामान्य	जिला उद्योग केन्द्र, श्रीगंगानगर
3.	श्री मुकेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री रामदेव प्रजापत, पता–बी–16, पटेल नगर,चर्च रोड़, देवली, जिला टोंक (राज.) पिन 304804	09.10.1990	886443	1000 (रिजर्व लिस्ट) पिछड़ा वर्ग	जिला उद्योग केन्द्र, टोंक

नियुक्ति की शर्तें:–

1. यह नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1683/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार एव अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.17 की अनुपालना में दिनांक 07.07.2017 को अस्थाई परिणाम घोषित किया गया। अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों के लिए नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 21.11.2017 को जारी की गयी, में नियुक्तियां आवंटित पदों के संबंध में डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.17 व डीबी स्पेशल रिट संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर में दिनांक 05.03.2018 को पारित निर्णय की पालना में दिनांक 28.04.2018 को घोषित परिणाम तथा एस.बी.सि.रिट पिटिशन संख्या

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

11497/2017 धारा सिंह गुर्जर व अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.07.2017, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.एस.ए.डब्ल्यू. संख्या 1666/2017 बाबल देवी मीना व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा विभिन्न अन्य याचिकाओं पारित आदेश दिनांक 27.04.18 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन अध्यधीन रहेगी।

2. यह नियुक्ति अस्थायी है। दो वर्ष की अवधि के लिए अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन काल पर रहेंगे। परिवीक्षाकाल में वार्षिक वेतन वृद्वि एवं कोई अन्य भत्ते देय नही होंगे।
3. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नही पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
4. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान देय नियत पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी 25565/2015 राज. राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अध्यधीन होगा।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
7. अभ्यर्थी द्वारा दहेज एवं विवाह संबंधी शपथ पत्र तथा दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व प्रस्तुत करेंगे।
8. विभाग को संबंधित अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किये जायेगे।
9. संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र कार्यग्रहण करवाते समय शैक्षणिक योग्यता, आयु (जन्मतिथि) व अन्य किसी छूट के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र/उच्च शिक्षा सहित) एवं प्रस्तुत प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर संबंधी) के मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर कर एक–एक सत्य प्रति प्राप्त कर कार्मिक की निजी पत्रावली में रखी जावे।
10. पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. अभ्यर्थी इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
12. अभ्यर्थी की जन्मतिथि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के आधार पर अंकित की गई है। जो अपरिर्वतनीय होगी।
13. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
14. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

15. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
आयुक्त, उद्योग

क्रमांक:एफ (1)/1(27)आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/रालोसेआ/2019 दिनांक: 04-11-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप–2) विभाग, राज., जयपुर।
2. उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1 (6)प्र.सु./अनु.–3/2017 दिनांक 27.09.2019 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि इस विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों में से 01 अभ्यर्थी श्री दिनेश शर्मा (मेरिट नं. 745)का चयन अन्य सेवा में हो जाने के कारण उद्योग विभाग में कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) के पद पर नियुक्ति नहीं चाहते हैं।
3. उप निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर अनुभाग), मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. संयुक्त निदेशक, उद्योग (संस्थापन), मुख्यालय, जयपुर।
5. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग, केन्द्र,भरतपुर/श्रीगंगानगर/टोंक को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि आपके कार्यालय में नियुक्त किये गये अभ्यर्थी के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु व अन्य किसी छूट के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने एवं नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तो की पूर्ति करवाने के पश्चात संतुष्टि करने के बाद ही कार्यग्रहण करावें। अभ्यर्थी का राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर का मूल आवेदन पत्र तथा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु मूल ही संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने की सूचना आवश्यक रूप से मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित अभ्यर्थी श्री.. को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित समयावधि में संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, के यहां अपनी उपस्थिति मूल दस्तावेजों एवं वांछित शपथ पत्रों सहित प्रस्तुत करें।

(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग
(प्रशासन)